

## Timeline for Power Assistance / Power Bill Rebate under Mega Industrial and Investment Policy, 2015

The timelines for the service for the Grant of Sanction & Disbursement have been notified under The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act 2012.

Particulars	Notification Details	Number of Days
<b>Timeline for the Service Delivery</b>		
Timeline for Sanction	1104/VII-2-17/66-MSME/2013 dated 31.10.2017	Within 90 days (after receiving application with complete documents as per the Guidelines)
Timeline for Disbursement	1104/VII-2-17/66-MSME/2013 dated 31.10.2017	Within 90 days (after the release of funds)
<b>Timeline for the Settlement of Appeal</b>		
Any investor aggrieved by the orders of the Competent Authority may appeal to the State Empowered Committee	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days
Any investor aggrieved by the orders of The District Empowered Committee may appeal to the State Empowered Committee	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days
Any investor aggrieved by the orders of The State Empowered Committee may appeal to the State Government	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days

910  
31/12/2017

उत्तराखण्ड शासन  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग  
संख्या: 1104/VII-2-17/66-एम0एस0एम0ई0/2013  
देहरादून, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या:-30/XXXVI(3)/2013/62(1)/2012 दिनांक 28.01.2013 द्वारा जारी "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम-2012" की धारा-10 तथा शासन की अधिसूचना संख्या:-752/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.08.2015 एवं संख्या:-2325/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.12.2015 को अवक्रमित करते हुए "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली-2015" के नियम-6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को जारी की जाने वाली अनुज्ञा/अनापत्ति/अनुज्ञापन हेतु समय-सीमा संलग्न प्रारूपानुसार पुनः निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक-अनुसूची-1, भाग क, ख, ग।

भवदीया,  
o/c (मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।

9.	उद्योग विभाग	1. लघु और वृहत् औद्योगिक आस्थानों में मूखण्ड/शैडों का आवंटन।	स्थापना से पूर्व	15 दिन
		2. उद्योग आधार पंजीकरण।	संचालन से पूर्व	1 दिन
		3. मैगा इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2015 एवं मैगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी-2016 में पात्रता प्रमाण पत्र-आशय पत्र जारी करना।	संचालन से पूर्व	30 दिन (दिशा-निर्देशानुसार सम्पूरित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)
		4. मैगा इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2015 एवं मैगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी-2016 में अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र-आशय पत्र जारी करना।	स्थापना से पूर्व	30 दिन (दिशा-निर्देशानुसार सम्पूरित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)
		5. विभिन्न औद्योगिक नीतियों में प्रदत्त वित्तीय सहायता के दावों का पूर्व-पंजीकरण-आशय पत्र जारी करना।	स्थापना से पूर्व	30 दिन (दिशा-निर्देशानुसार सम्पूरित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)
		6. विभिन्न औद्योगिक नीतियों में प्रदत्त वित्तीय सहायता के दावों की स्वीकृति।	संचालन के बाद	90 दिन(दिशा-निर्देशानुसार सम्पूरित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात)
		7. विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत स्वीकृत दावों का संवितरण।	संचालन के बाद	90 दिन(बजट प्राप्ति के पश्चात)